रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062022-236644
CG-DL-E-16062022-236644

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2022/ज्येष्ठ 26, 1944
No. 434] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2022/JYAISHTHA 26, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2022

सा.का.नि. 455(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) के मद (III) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (सत्रहवाँ.संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमे इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है),-

(i) नियम 21कझ में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2क) अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा धारित इकाइयों से होने वाली आय विनिर्दिष्ट निधि में अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त नहीं होगी जब तक कि विनिर्दिष्ट निधि उपनियम 2 के अनुपालन के साथ न हो।";

(ii) नियम 21कझ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"21कझक. अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट निधि द्वारा अन्य शर्तें पूरी करना अपेक्षित है- (1) अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) के मद (III) के परंतुक के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट निधि द्वारा अन्य शर्तों की पालन अपेक्षित है जो निम्नलिखित है, अर्थात् :-

(क) विनिर्दिष्ट निधि का इकाई धारक, ऐसी निधि के प्रायोजक अथवा प्रबंधक के सिवाए जो अधिनियम की धारा 6 के खंड (1क) या खंड(1) के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान निवासी बन जाता है पिछले वर्ष के बाद जिसमें ऐसी इकाई या इकाईयां जारी की गई थी, ऐसी विनिर्दिष्ट निधि का इकाई धारक तीन माह से भीतर पूर्व वर्ष के अंत से, जिसमें वह निवासी बना था, बना रहेगा।

(ख) खंड (क) के प्रयोजनार्थ, विनिर्दिष्ट निधि इकाई धारको के संबंध में निम्नलिखित प्रलेखन का रखरखाव करेगी :-

(i) इकाई धारक का नाम;

(ii) इकाई धारक का कर पहचान संख्या निवास देश में जिस समय इकाईयां जारी की गई थी;

(iii) स्थायी खाता संख्या; यदि उपलब्ध हो;

(iv) धारित इकाईयों की कुल संख्या;

(v) धारित इकाईयों का कुल मूल्य;

(vi) क्या इकाई धारक प्रयोजक अथवा प्रबंधक है;

(vii) पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें इकाईधारक निवासी बना; और

(viii) विनिर्दिष्ट निधि से निर्गमन की तारीख ।

2 विनिर्दिष्ट निधि प्रमाणित करेगी कि उसने उप-नियम(1) के अधीन शर्तें पूरी करती हो और प्ररूप सं. 10-झछ में निवासियों द्वारा धारित इकाईयों से संबंध में छूट प्राप्त आय का वार्षिक विवरण की सूचना प्रस्तुत करेगी।

3 अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा धारित इकाईयों से होने वाली आय विनिर्दिष्ट निधि में अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त नहीं होगी जब तक कि विनिर्दिष्ट निधि उपनियम 2 के अनुपालन के साथ न हो।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनार्थ, "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड 4घ के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में है।";

(iii) नियम 21कञ में, उपनियम(3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतस्थापित किया जाएगा।

"(3क) धारा 115 कघ की उपधारा (1) के खंड(क) तथा खंड (ख) के अनुसार विनिर्दिष्ट निधि की आय अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा धारित इकाईयों से होने वाली धारा 115 कघ में निर्दिष्ट कर दरों के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि ये प्ररूप सं. 10झज में रियायती कराधान के लिए उपनियम 3 के उपबंधों के अनुसार पात्र आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करें।";

(iv) नियम 21कञक में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(3क) विनिर्दिष्ट निधि की आय पात्र विनिधान दशा के कारण धारा 10 के खंड 4घ के अधीन छूट प्राप्त नहीं होगी जब तक कि ये प्ररूप स. 10झट में छूट प्राप्त आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करें और प्ररूप 10झठ में उपनियम 2 के उपबंधों के अनुसार लेखा-परीक्षित रिपोर्ट न दें।";

(v) नियम 21कञकक में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(2क) धारा 115कघ की उपधारा(1) के खंड (ख) तथा खंड (क) के अनुसार पात्र विनिधान दशा की आय धारा 115कघ के अधीन निर्दिष्ट कर दरों के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि पात्र विनिधान दशा प्ररूप 10-झट में अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1ख) के अधीन कराधान हेतु पात्रता का उपनियम 2 के अनुसार वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करें।"।

3. मूल नियमों में, प्ररूप सं. 10झछ के परिशिष्ट के लिए निम्नलिखित प्ररूप को रखा जाएगा अर्थात्:-

"प्ररूप सं.10झछ

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त आय का विवरण

[नियम 21कझ का उपनियम (2) एवं नियम 21कजक का उपनियम (2) देखिए]

क्र.सं.			
1	विनिर्दिष्ट निधि का नाम:		
2	विनिर्दिष्ट निधि के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:		
3	विधिक प्रास्थिति (कंपनी/न्यास/सीमित दायित्व भागीदारी/ निगमित निकाय):		
4	स्थायी खाता संख्यांक:		
5	समाप्त होने वाला पूर्ववर्ती वर्ष:		
6	(i)	किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
	(ii)	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	दिन/मास/वर्ष
7	पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट निधि की कुल आय		(रुपए में)
धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त के ब्यौरे			
क्रम सं.	विनिर्दिष्ट निधि की आय की प्रकृति	कुल आय (रुपए में)	अनिवासी द्वारा धारित इकाईयों से मानी जा सकने वाली आय (जो भारत में किसी अनिवासी का कोई स्थायी स्थापन नहीं है)
8	किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर धारा 47 के खंड (viiकख) में विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त हुई आय और जहां ऐसे संव्यवहार का प्रतिफल, संदत्त या संदेय विदेशी विनिमय में संपरिवर्तनीय है **(क)**	उपाबंध 1 के भाग 1 में स्तंभ (5) का कुल योग	उपाबंध 1 के भाग 1 में स्तंभ (9) का कुल योग
9	प्रतिभूतियों के अंतरण के परिणामस्वरूप प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त हुई आय (भारत में निवासी किसी कंपनी में शेयरों से भिन्न) **(ख)**	उपाबंध 1 के भाग 2 में स्तंभ (5) का कुल योग	उपाबंध 1 के भाग 2 में स्तंभ (9) का कुल योग
10	किसी अनिवासी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों से आय (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) और जहां ऐसी आय अन्यथा, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं होती है **(घ)**	उपाबंध 2 के भाग 1 में स्तंभ (5) का कुल योग	उपाबंध 2 के भाग 1 में स्तंभ (9) का कुल योग
11	किसी प्रतिभूतिकरण न्यास से आय, जो "कारबार और वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है **(ङ)**	उपाबंध 2 के भाग 2 में स्तंभ (5) का कुल योग	उपाबंध 2 के भाग 2 में स्तंभ (9) का कुल योग
12	**धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त कुल आय**		
13	क्या नियम 21कझक के उपनियम (1) के अधीन शर्तों का पालन किया गया है ?		हां/नहीं
14	पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 6 के खंड (1क) अथवा खंड (1) के अधीन निवासियों द्वारा धारित इकाई का विवरण		

	क्रम सं.	निवासी इकाई धारक का नाम	निवासी का पैन यदि उपलब्ध हो	कर पहचान संख्या निवासी देश पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जब इकाई जारी की गई	धारित इकाईयों की कुल संख्या	धारित इकाईयों का मूल्य (रूपयों में)	क्या प्रायोजक या प्रबंधक हां/नहीं	क्या निवासी अधिनियम की धारा 6 के खंड (1) या खंड (1क) के अधीन इस पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के पश्चात् जिसमें ऐसी इकाईयां जारी की गई थी निवासी बना है हां/नहीं	यदि हां तो निधि निर्गम की तिथि ता/मा/व
	कुल								
15	पूर्व वर्ष के दौरान इकाइयों का कुल मूल्य (रू. करोड़ में)								
16	पूर्व वर्ष के दौरान इकाइयों की कुल संख्या								
17	पूर्व वर्ष के दौरान निवासी द्वारा धारित इकाई (मूल्य) का अनुपात								
18	पूर्व वर्ष के दौरान निवासी द्वारा धारित इकाई (संख्या) का अनुपात								

घोषणा

मैं.....(पूरा नाम साफ और स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नी.....घोषणा करता हूँ/करती हूँ, कि :

(i) उपरोक्त किए गए कथन और उपाबंध (धों), जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध/उपाबंधों से संलग्न दस्तावेज भी हैं, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूर्ण हैं ;

(ii) निधि को अनुकल्पी विनिधान निधि प्रवर्ग 3 के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है और यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित हैं;

(iii) निधि, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है;

(iv) किसी प्रायोजक अथवा उनके लिए जो पूर्व वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के पश्चात् जिसमें इकाईयां जारी की गई थी में निवासी बने हैं द्वारा धारित यूनिटों से भिन्न, विनिर्दिष्ट निधि की सभी यूनिट अनिवासियों द्वारा धारित हैं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि पूर्व वर्ष के दौरान _ _वर्ष-वर्ष निवासी इकाई धारक या इकाई धारकों द्वारा धारित इकाईयों का कुल मूल्य तथा संख्या धारा 6 के खंड (1) अथवा (1क) के अधीन प्रायोजक या प्रबंधक द्वारा धारित इकाइयों के अतिरिक्त जो पूर्व वर्ष के दौरान अनिवासी थे जब ऐसी इकाईयां जारी की गई थी, 5 प्रतिशत से अधिक न हो तथा वे पूर्व वर्ष के अंत से 3 माह की अवधि के भीतर जिसमें वे निवासी बने इकाई धारक बने रहे

मैं आगे यह प्रमाणित करता हूं कि पूर्व वर्ष के दौरान __वर्ष-वर्ष निवासी द्वारा धारित इकाई की गणना अनिवासी द्वारा धारित इकाई के अनुसार नियम 21कझ के उपनियम(1) तथा नियम 21कझ के उपनियम (1) तथा नियम 21कञ के उपनियम (1) एवं (2) के अधीन छूट प्राप्त आय की गणना के प्रयोजनार्थ की गई है।

मैं और यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं यह विवरण अपनी.....की हैसियत से (पदनाम) प्रस्तुत कर रहा हूँ/कर रही हूँ और मैं यह विवरण प्रस्तुत करने और यह घोषणा करने में सक्षम हूँ।

स्थान :

तारीख:

भवदीय,

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

टिप्पण.-

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें।
2. "प्रबंधन के अधीन आस्तियों" से किसी विशिष्ट तारीख को आस्तियों या विनिधान के मूल्य का अंतिम अतिशेष अभिप्रेत है ;
3. "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में इसका है;
4. "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण" से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है;
5. "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा जो धारा 92च के खंड (iiiक) में इसका है ;
6. "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (खख) में इनका है;
7. "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में इसका है ;
8. "इकाई" का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (च) में इसका है।
9. सभी रकम भारतीय रुपए में उल्लिखित की जाएं।

उपाबंध 1

क्र. सं.	प्रतिभूति का नाम	अर्जन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	अंतरण की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	पूंजी अभिलाभ (रुपए में)	ऐसी पूंजी आस्ति या प्रतिभूति के अर्जन की तारीख से ऐसी पूंजी आस्ति या प्रतिभूति के अंतरण की तारीख तक किसी अनिवासी यूनिट धारकों (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित विनिर्दिष्ट निधि के प्रबंधन के अधीन दैनिक आस्तियों का योग	ऐसी पूंजी आस्ति या प्रतिभूति के अर्जन की तारीख से ऐसी पूंजी आस्तिया प्रतिभूति के अंतरण की तारीख तक विनिर्दिष्ट निधि के "प्रबंधन के अधीन" दैनिक आस्तियों का योग	अनुपात	अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित यूनिटों की मानी जा सकने वाली आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=(5)*(8)
भाग 1. किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्चेंज पर धारा 47 के खंड (viiकख) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अंतरण से आय और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदत्त या संदेय है।								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=(5)*(8)
कुल								

भाग 2. प्रतिभूतियों (भारत में निवासी कंपनी में शेयरों से भिन्न) के अंतरण से आय								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=(5)*(8)
कुल								

+ प्रतिभूतियों की संख्या की अपेक्षिततानुसार पंक्ति जोड़ें।

उपाबंध 2

क्र. सं.	प्रतिभूति का नाम	आय की प्रकृति	आय की प्राप्ति की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	आय (रुपए में)	आय की प्राप्ति की तारीख को अनिवासी यूनिट धारकों (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित प्रबंधन के अधीन आस्तियां	आय की प्राप्ति की तारीख को प्रबंधन की कुल आस्तियां	अनुपात	अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित यूनिटों की मानी जा सकने वाली आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)(7)	(9) =(5)*(8)
भाग 1. किसी अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित इकाईयों के कारण प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और जहां ऐसी आय, अन्यथा भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं होती है								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)(7)	(9) =(5)*(8)
कुल								
भाग 2. "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाख" शीर्ष के अधीन मानी जा सकने वाली किसी प्रतिभूतिकरण न्यास से आय								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)(7)	(9)=(5)*(8)
कुल								

+ अपेक्षित पंक्तियां जोड़ें

^ सुसंगत कोड का चयन किया जाए

1. लाभांश

2. ब्याज

3. अन्य आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)"|

[अधिसूचना संख्यांक 64/2022/फा. सं. 370142/24/2022-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 404(अ) तारीख 31 मई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2022

G.S.R. 455(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to item (III) of sub-clause (i) of clause (c) of the *Explanation* to clause (4D) of section 10 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules,1962, namely:—

1. **Short title and commencement**.— (1) These rules may be called the Income-tax (Seventeenth Amendment), Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the principal rules),—

(i) in rule 21AI, after sub-rule rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2A) The income attributable to units held by non-resident (not being the permanent establishment of a non-resident in India) in a specified fund shall not be exempt under clause (4D) of section 10 of the Act unless the specified fund complies with sub-rule (2).";

(ii) after rule 21AI, the following rule shall be inserted, namely:—

"21AIA. Other conditions required to be fulfilled by a specified fund referred to in clause (4D) of section 10 of the Act.—(1) For the purposes of the proviso to item (III) of sub-clause (i) of clause (c) of the *Explanation* to clause (4D) of section 10 of the Act, the "other conditions" required to be fulfilled by a specified fund shall be that —

(a) the unit holder of the specified fund, other than the sponsor or manager of such fund, who becomes a resident under clause (1) or clause (1A) of section 6 of the Act during any previous year subsequent to the previous year in which such unit or units were issued, shall cease to be a unit holder of such specified fund within a period of three months from the end of the previous year in which he becomes a resident;

(b) for the purposes of clause (a), the specified fund shall maintain the following documents in respect of its unit holders,—

i. name of the unit holder;

ii. tax identification number of the unit holder in the country of residence at the time the units were issued;

iii. permanent account number, if available;

iv. total number of units held;

v. total value of units held;

vi. whether unit holder is a sponsor or a manager;

vii. the previous year in which the unit holder became resident and;

viii. date of exit from specified fund.

(2) The specified fund shall certify that it has fulfilled the conditions under sub-rule (1) and furnish information in respect of units held by residents in the annual statement of exempt income in Form No. 10-IG.

(3) The income attributable to units held by non-resident (not being the permanent establishment of a non-resident in India) in a specified fund shall not be exempt under clause (4D) of section 10 unless the specified fund complies with sub-rule (2).

Explanation.-For the purpose of this rule, "specified fund" shall have the same meaning as assigned to it in sub-clause (i) of clause (c) of the Explanation to clause (4D) of section 10 of the Act.";

(iii) in rule 21AJ, after sub-rule rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3A) The income of a specified fund referred to in clause (a) and clause (b) of sub-section (1) of section 115AD, attributable to the units held by a non-resident (not being the permanent establishment of a non-resident in India),

shall not be eligible for tax rates specified in section 115AD unless it furnishes the annual statement of income eligible for concessional taxation in Form No. 10-IH in accordance with the provision of sub- rule (3).";

(iv) in rule 21AJA, after sub-rule rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3A) The income of a specified fund attributable to an eligible investment division shall not be exempt under clause (4D) of section 10 unless it furnishes the annual statement of exempt income in Form No. 10-IK and the report of audit in Form 10-IL in accordance with the provisions of sub-rule (2).";

(v) in rule 21AJAA, after sub-rule (2) , the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2A) The income of an eligible investment division referred to in clause (a) and clause (b) of sub-section (1) of section 115AD shall not be eligible for tax rates specified under section 115AD unless the eligible investment division furnishes an annual statement of income, eligible for taxation under sub-section (1B) of section 115AD of the Act, in Form No. 10-IK in accordance with sub-rule (2).".

3. In the principal rules, in the APPENDIX for Form No. 10-IG, the following Form shall be substituted, namely: —

"**Form No.10-IG**

Statement of exempt income under clause (4D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961

[See sub-rule (2) of rule 21AI and sub-rule (2) of rule 21AIA]

S. No.			
1.	Name of the Specified Fund:		
2.	Address of the registered office of the specified fund:		
3.	Legal status [company/ trust/ limited liability partnership/ body corporate]:		
4.	Permanent account number:		
5.	Previous year ending:		
6.	(i)	Registration number as per the certificate of registration issued by the International Financial Services Centre Authority:	
	(ii)	Date of registration:	dd/mm/yyyy
7.	Total Income of Specified Fund during Previous Year		(In Rs)

Details of Exempt Income under clause (4D) of section 10			
S.No.	Nature of Income of the Specified Fund	Total Income (In Rs.)	Income attributable to units held by non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India)
8.	Income accrued or arisen to, or received as a result of transfer of capital asset referred to in clause (viiab) of section 47, on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre and where the consideration for such transaction is paid or payable in convertible foreign exchange **(A)**	*Total of Column (5) in Part I of Annexure 1*	*Total of Column (9) in Part I of Annexure 1*
9.	Income accrued or arisen to, or received as a result of transfer of securities (other than shares in a company resident in India) **(B)**	*Total of Column (5) in Part II of Annexure 1*	*Total of Column (9) in Part II of Annexure 1*
10.	Income from securities issued by a non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India) and where such income otherwise does not accrue or arise in India (**D**)	*Total of Column (5) in Part I of Annexure 2*	*Total of Column (9) in Part I of Annexure 2*
11.	Income from a securitisation trust which is chargeable under the head "Profits and gains of business or profession" **(E)**	*Total of Column (5) in Part II of Annexure 2*	*Total of Column (9) in Part II of Annexure 2*
12.	**Total Exempt Income under clause (4D) of section 10**		
13.	Whether conditions under sub-rule (1) of rule 21AIA are fulfilled		Yes/No

14.	Details of units held by residents under clause (1) or clause (1A) of section 6 of the Act during the previous year								
	S.No.	Name of resident unit holder	PAN of resident, if available	Tax Identification Number in country of residence during the previous year when unit was issued	Total Number of units held	Value of units held in Rs.	Whether sponsor or manager Yes/No	Whether the resident has become a resident under clause (1) or clause (1A) of section 6 of the Act during this previous year subsequent to the previous year in which such unit or units were issued? Yes/No	If yes date of exit from fund dd/mm/yyyy
	Total								

15.	Aggregate value of units (Rs. in crore) during the previous year	
16.	Aggregate number of units during the previous year	
17.	Proportion of units (value) held by residents during the previous year	
18.	Proportion of units (number) held by residents during the previous year	

Declaration

I, _____(Name in full and in block letters) son/daughter/wife of _____do hereby declare that:

(i) to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the Annexure(s), including the documents accompanying such Annexure(s), is correct and complete;

(ii) the fund has been granted a certificate of registration as a Category III Alternative Investment Fund and is regulated under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012, made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(iii) the fund is located in an International Financial Services Centre;

(iv) all the units of the specified fund are held by non-residents other than units held by a sponsor or a manger or those who have become resident during this year subsequent to the previous year in which units were issued.

I further declare that during the previous year……..yyyy- yyyy the aggregate value and number of the units, held by resident unit holder or unit holders, as referred to under clause (1) or (1A) of section 6, other than units held by a sponsor or a manger, who were non-resident during the previous year when such unit or units were issued, does not exceed five percent and that they have ceased to be unit holders within a period of three months from the end of the previous year in which they became residents.

It is further certified that during the previous year.....yyyy- yyyy the units held by residents are not counted as units held by non-residents, for the purposes of computation of exempt income under sub-rule (1) of rule 21AI and sub-rule (1) and (2) of rule 21AJ.

I further declare that I am furnishing this statement in my capacity as_____ (designation) and that I am competent to make this declaration and furnish this statement.

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature …….

Name……

Designation……

Notes:

1. Attach a copy of the certificate of registration under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;
2. "Assets under management" means the closing balance of the value of assets or investments of the specified fund as on a particular date;
3. "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);
4. "International Financial Services Centre Authority" means an authority established under sub-section (1) of section 4 of the International Financial Services Centre Authority Act, 2019 (50 of 2019);
5. "permanent establishment" shall have the same meaning as assigned to it in clause (iiia) of section 92F;
6. "securities" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (bb) of the Explanation to clause (4D) of section 10;
7. "specified fund" shall have the same meaning as assigned to it in sub-clause (i) of clause (c) of the *Explanation* to clause (4D) of section 10; and
8. "unit" shall have the same meaning as assigned to it clause (f) of Explanation to clause (4D) of section 10;
9. All amounts to be mentioned in Indian rupees.

Annexure 1

S. No.	Name of security	Date of acquisition (*dd/mm/yyyy*)	Date of transfer (*dd/mm/yyyy*)	Capital Gains (In Rs.)	Aggregate of daily 'assets under management' of the specified fund held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) from the date of acquisition of the capital asset or security to the date of transfer of such capital asset or security	Aggregate of daily total 'assets under management' of the specified fund, from the date of acquisition of the capital asset or security to the date of transfer of such capital asset or security.	Ratio	Income attributable to units held by non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) * (8)
Part I. Income from transfer of securities referred to in clause (viiab) of section 47, on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre and where the consideration for such transaction is paid or payable in convertible foreign exchange								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) * (8)
Total								
Part II. Income from Transfer of securities (other than shares in a company resident in India)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) * (8)
Total								

+ add rows depending upon number of securities

Annexure 2

S. No.	Name of Security	Nature of income^	Date of receipt of income (dd/mm/yyyy)	Income (In Rs.)	Assets under management held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) as on the date of receipt of income	Total 'asset under management' as on the date of receipt of income.	Ratio	Income attributable to units held by non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9) = (5)*(8)
Part I. Income from Securities attributable to units held by a non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India) and where such income otherwise does not accrue or arise in India.								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9) = (5)*(8)
Total								
Part II. Income from a securitization trust which is chargeable under the head "Profits and gains of business or profession.								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9) = (5)*(8)
Total								

+ add rows as required

^ Relevant code to be selected

1. **Dividend**
2. **Interest**
3. **Other Income. Please specify".**

[Notification No. 64/2022/F. No. 370142/24/2022-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969(E) dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 404 (E) dated 31st May, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.06.16 22:30:27 +05'30'